न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – मनोज कुमार, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 23/2021

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर

बनाम

अप्रार्थीगण

1रामस्वरूप सोनी पुत्र स्व. भंवरलाल सोनी जाति माहेश्वरी निवासी राजकीय गर्ल्स स्कूल के सामने, गोरेडी चांचा डेगाना जंक्शन जिला नागौर।
फर्म–मैसर्स भंवरलाल रामस्वरूप सोनी, सदर बाजार, डेगाना।
2शिवकुमार विश्नोई पुत्र रामनारायण विश्नोई निवासी वार्ड सं. 1 गवारिया बस्ती नोखा मण्डी जिला बीकानेर।
फर्म–मैसर्स श्री विष्णु दाल एण्ड ऑयल मिल G-2, 244 to 251 II D Center रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया नागौर।
3 फर्म–मैसर्स श्री विष्णु दाल एण्ड ऑयल मिल G-2, 244 to 251 II D Center रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया नागौर।

आदेश

दिनांक : 15-07-2021

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 30-10-2020 को मैसर्स भंवरलाल रामस्वरूप सोनी, सदर बाजार, डेगाना जिला नागौर पर खाद्य पदार्थ मूंग मोगर (नागौर फ्रेश ब्राण्ड) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 1380 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/415/एक्ट/2020/221 दिनांक 02.11.2020 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना मूंग मोगर (नागौर फ्रेश ब्राण्ड) मिसब्राण्डेड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण रामस्वरूप सोनी पुत्र स्व. भंवरलाल सोनी जाति माहेश्वरी निवासी राजकीय गर्ल्स स्कूल के सामने, गोरेडी चांचा डेगाना जंक्शन जिला नागौर, शिवकुमार विश्नोई पुत्र रामनारायण विश्नोई निवासी वार्ड सं. 1 गवारिया बस्ती नोखा मण्डी जिला बीकानेर तथा फर्म मैसर्स विष्णु दाल एण्ड ऑयल मिल G-2, 244 to 251 II D Center रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया नागौर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए.2006 की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 24-02-2021 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब दिनांक 08.04.2021 को पेश किया गया। अप्रार्थी सं.1 ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मेरी फर्म से मूंग मोगर का नमूना भरा था। जो मिस ब्राण्ड होना पाया गया है। उस वक्त लॉकडाउन की वजह से ध्यान नही रहा। मैने मूंग मोगर नागौर विष्णु दाल एण्ड ऑयल मिल्स रिको से खरीद किया हुआ था। भविष्य मे ऐसी गलती नही करूंगा। इस मुकदमे मे मुझे दोष मुक्त करके कम से कम जुर्माना करने की कृपा करावे एवं सील किया गया माल को छुडवाने की कृपा करे तथा अप्रार्थी सं. 2 व 3 ने अपने जवाब मे बताया कि मेरी फर्म विष्णु दाल एण्ड ऑयल मिल नागौर से मैने भंवरलाल रामस्वरूप सोनी डेगाना को मूंग मोगर विक्रय किया था। जिस पर भूलवश व लॉकडाउन की वजह से बेच नं. व दिनांक लिखना रह गया था। भविष्य मे ऐसी गलती नही होगी। इस मुकदमे मे कम से कम जुर्माना कर दोष मुक्त करवाने का निवेदन किया है।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/415/एक्ट/2020/221 दिनांक 02.11.2020 के अनुसार खाद्य पदार्थ मूंग मोगर (नागौर फ्रेश ब्राण्ड) का नमूना मिसब्रान्डेड पाया गया है। अप्रार्थीगण ने भी अपने जवाब मे अपना जुर्म स्वीकार किया है। अतः अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी सं. 1 रामस्वरूप सोनी पुत्र स्व. भंवरलाल सोनी जाति माहेश्वरी निवासी राजकीय गर्ल्स स्कूल के सामने, गोरेडी चांचा डेगाना जंक्शन जिला नागौर पर रूपये 35,000/– अक्षरे पैंतीस हजार रूपये, अप्रार्थी सं. 2 शिवकुमार विश्नोई पुत्र रामनारायण विश्नोई निवासी वार्ड सं. 1 गवारिया बस्ती नोखा मण्डी जिला बीकानेर तथा अप्रार्थी सं. 3 फर्म मैसर्स विष्णु दाल एण्ड ऑयल मिल G-2, 244 to 251 II D Center रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया नागौर पर संयुक्त रूप से रूपये 50,000/– अक्षरे पचास हजार रूपये कुल रूपये 85,000/– अक्षरे पिचयासी हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। जब्तसुदा मूंग मोगर का नियमानुसार निस्तारण खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा भविष्य के लिये अप्रार्थी को पाबंद किया जाता है कि जिस खाद्य पदार्थ पर उत्पादन तिथि, बेच नं. तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत ही अंकित जानकारी के खाद्य पदार्थ विक्रय करे। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं

जिला मजिस्ट्रेट

संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)